

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर- 21/2020

भवानी सिंह पुत्र मुंगाराम उम्र 36 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 6 कांकरिया तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

..... प्रार्थी

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 22-02-2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 46 के ख.नं. 1427 रकबा 0.63 हैक्टर, ख.नं. 1431 रकबा 0.09 हैक्टर, ख.नं. 899 रकबा 0.16 हैक्टर, ख.नं. 900 रकबा 0.07 हैक्टर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.95 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भानीसहाय पुत्र मुंगा के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र मुंगाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074-77 खाता सं. 46 ग्राम कांकरिया पेश की गई तथा गवाह राजेश कुमार पुत्र परतुराम जाति माली निवासी कांकरिया व मोहनलाल पुत्र मुंगाराम जाति माली निवासी कांकरिया के शपथ पत्र पेश किये गये।


बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 46 में प्रार्थी का नाम भानीसहाय पुत्र मुंगा के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र मुंगाराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 46 में प्रार्थी का नाम भानीसहाय पुत्र मुंगा के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र मुंगाराम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-02-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी